प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/

दिनांक / Date : Dated: .07.2011

To
The Director of Treasuries and Accounts
Insurance Building Complex
Tilak Road
HYDERABAD

Sir,

Sub: Forwarding of Uttarakhand Political pensioners revised rates of DAw.e.f.01-01-2006 in respect of revision 395/XXVII(7)/2008 dt.10-10-2008– reg

Ref: 1. AG(A&E), UTTARAKHAND lr,No.pen/uttarakhand/DR/SSA/10-11/3452 dt.14-02-2011,
2. Govt. of Uttarakhand lr. No.Fin(Plg) divn-7.dt.13-02-2009

***

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). I am to request you to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action to minimise hardship to the pensioners of the state concerned.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer.

Copy to:
The Joint Director
Pension Payment Officer
Nampally
HYDERABAD for information and necessary action.

Sr. Accounts Officer.

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः पेंशन / उत्तराखण्ड / राहत / वि0मु0प्रा0 / 3452 दिनांक 14/02/11

(विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत)

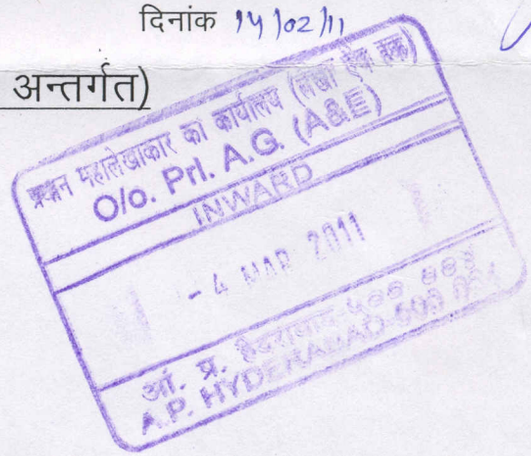

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक़) O/o. Prl. A.G. (A&E) INWARD -4 MAR 2011 आं. प्र. हैदराबाद-500 004 A.P. HYDERABAD-500 004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

....

....

विषयः—राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 395 / XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के स्पष्टीकरण में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश सं0 27 (1) / XXVII (7)/2009, वित्त (वे0आ0सा0नि0) अनु0—7 देहरादून दिनांक 13.02.2009 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु इस शासनादेश को अपने राज्य के सभी कोषागारों को भिजवानें की व्यवस्था करें।

भवदीय,

लेखाधिकारी / पेंशन

(32)

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

D.L. Kuykhwala

DR

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनॉक:13फरवरी,2009

विषयः– राजकीय कर्मचारियों को दिनॉक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमानो की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008,दिनांक:17अक्टूबर,2008 के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान के विभिन्न बिन्दुओं के संबंध में विभाग /संगठनों / संस्थाओं द्वारा की गई जिज्ञासाओं के संबंध में निम्नवत् स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2–उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008, दिनांक: 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–13 में दिनांक 31–8–2008 तक स्वीकृत हो चुके समयमान वेतनमान के प्रकरणों में अनुमन्य वेतनमान के सापेक्ष वेतन बैण्ड में वेतन पुनरीक्षण किया गया है परन्तु ग्रेड–पे उसके मूल पद की प्रास्थिति के अनुरूप देने की व्यवस्था है । ग्रेड–पे की अनुमन्यता की उक्त व्यवस्था में संशोधन के फलस्वरूप अब अनुमन्य समयमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड के अनुसार ग्रेड–पे देय होगी।

3–उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश में प्रोन्नति/चयन वेतनमान की तिथि से विकल्प देने की व्यवस्था नहीं थी। एतद्द्वारा प्रोन्नति की तिथि अथवा चयन वेतनमान की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प दिये जाने की सुविधा अनुमन्य होगी ।

4--वार्षिक वेतनवृद्धि के संबंध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक17अक्टूबर,2008 में स्पष्ट है कि प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि जनवरी/जुलाई में ही देय होगी, लेकिन नियुक्ति/प्रोन्नति/उच्चीकरण की तिथि से कम से कम 6 माह का समय पूरा होने पर प्रथम वेतन वृद्धि देय होगी । यदि उक्तानुसार वेतन वृद्धि का निर्धारण दिनांक 1–1–2006 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में नहीं किया गया है तो संबंधित आहरण / वितरण

अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5—दिनांक 1—1—2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड—पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति / चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांक:15—1—2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी।

6—वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1—1—2007 को अनुमन्य होगी। इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7—शासनादेश संख्या:395 / xxvii(7) / 2008, दिनांक: 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर—29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

8—दिनांक 1—1—2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

अधिकारी के द्वारा तद्नुसार वेतन निर्धारण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

5–दिनांक 1–1–2006 से वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में ग्रेड–पे, वेतन वृद्धि की तिथि तथा पदोन्नति/चयन की तिथि से भी विकल्प देने की व्यवस्था हेतु स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है, जबकि उक्त शासनादेश द्वारा विकल्प दिये जाने की तिथि दिनांक 15–1–2009 को समाप्त हो गयी है। अतः उक्तानुसार निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान का विकल्प देने की सुविधा शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 'तीन माह' बढ़ायी जा रही है। उक्त स्पष्टीकरण के दृष्टिगत यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व में दिये अपने विकल्प में परिवर्तन करना चाहता हो तो वह उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्व से दिये अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकता है। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद विकल्प की सुविधा अग्रेतर नहीं बढ़ायी जाएगी।

6–वेतनमान पुनरीक्षण के शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8 की व्यवस्था के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अनुमन्य कराने के बाद संशोधित वेतन ढाँचें में वेतन बैण्ड में वेतन निर्धारण किया जाय तथा आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 1–1–2007 को अनुमन्य होगी। इस विषय में यह देखा जा रहा है कि अनेक प्रकरणों में पुराने वेतनमान तथा नये वेतनमान दोनों में वेतन निर्धारण किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकरणों में अब पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनका वेतन निर्धारण पुराने वेतनमान में एक वेतन वृद्धि के स्थान पर नये वेतनमानों में ही एक वेतन वृद्धि देकर वेतन का निर्धारण किया जाएगा और पूर्व में इस संबंध में जो त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण किये गये हैं उनको संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा ठीक कर लिया जाय।

7–शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008, दिनांक: 17अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–29 के क्रम में अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008–09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

8–दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1–1–2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष का 40प्रतिशत

वित्तीय वर्ष2008–09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010–11 में भुगतान किया जाएगा ।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 27(1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 500प्रतियां प्रकाशनार्थ
12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।